न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 115/2020 (2020/00310)

अनवान

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. कल्याणसिह पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
2. कैलाश पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
3. कंचन पुत्री भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
4. गणेश पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
5. देवीसिंह पुत्र शम्भुसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
6. नन्दा कंवर पुत्री शम्भुसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
7. सायर कंवर पत्नी शम्भुसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
8. तहसीलदार चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री सम्पत जणवा अधिवक्ता वादी

श्री लोकेश गदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04

निर्णय दिनांक 06.04.2026

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—89 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम अभयपुर पटवार हल्का अभयपुर मे खसरा संख्या 90 रकबा 0.42 हे. भूमि श्री रामसिंह, कल्याणसिंह , शम्भुसिंह , कैलाश , गणेश एंव कंचन पिता भवानीसिंह राजपुत के नाम दर्ज है। शम्भुसिंह की मृत्यु हो जाने से नामान्तरण संख्या 148 दिनांक 17.07.2015 से विरासत के आधार पर शम्भूसिंह के बजाय देवीसिंह, नंदा कंवर पिता शम्भुसिंह , सायर कंवर पत्नी शम्भुसिंह के नाम दर्ज हुआ है। दिनांक 10.06.1987 को उक्त खाते के सहखातेदार कल्याणसिंह , शम्भुसिंह , कैलाश, गणेश पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि. अभयपुर ने सह खातेदार रामसिंह पिता भवानीसिंह राजपुत के पक्ष मे रिलिज डीड का

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ष्पादन कर उप पंजीयक कार्यालय चित्तौडगढ के समक्ष उपस्थित उक्त रिलिज डीड का पंजीयन कराया । पंजीकृत रिलिज डीड से उक्त कृषि आराजीयात उक्त खाते के सह खातेदार कल्याणसिंह, शम्भुसिंह, कैलाश एंव गणेश पुत्र भवानीसिंह एंव कंचन पुत्री भवानीसिंह राजपुत अपने समस्त हक श्री रामसिंह वादी के पक्ष मे त्याग कर दिए तब से वादी रामसिंह खसरा संख्या 90 रकबा 0.42 हे. का एकमात्र खातेदार होकर उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। वादी उक्त कृषि भूमि पर खातेदार रिलिज डीड से हो गया है लेकिन राजस्व अभिलेख मे वादी अकेले को खातेदार दर्ज नही किया जाकर रिलिज कर्ता कल्याणसिंह, शम्भुसिंह, कैलाश एंव गणेश पुत्र भवानीसिंह एंव कंचन पुत्री भवानीसिह राजपुत का नाम चला आ रहा है। उक्त सहखातेदार प्रतिवादीगण को वादी ने उक्त खसरा अकेले वादी के नाम दर्ज कराने शेष सह प्रतिवादीगण का नाम हटाए जाने के लिए कई मर्तबा अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 17.03.2020 को इंकार कर दिया तब से वाद पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमया जाकर ग्राम अभयपुर पटवार हल्का अभयपुर के खसरा संख्या 90 रकबा 0.42 हे. भूमि वादी के खातेदारी की घोषित किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की तरफ से अधिवक्ता लोकेश गदिया ने वकालतनाम पेश कर सहमति का जवाब इस आशय का पेश किया कि ग्राम अभयपुरा के खसरा संख्या 90 रकबा 0.42 हे. भूमि के सहखातेदार कल्याणसिंह, शम्भुसिंह, कैलाश एंव गणेश पुत्र भवानीसिंह एंव कंचन पुत्री भवानीसिह राजपुत नि.अभयपुर ने सह खातेदार रामसिंह पिता भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर के पक्ष मे दिनांक 10.06.1987 को रिलिज डीड का दस्तावेज उपस्थित गवाहन की मौजूदगी मे निष्पादित कर पंजीयन कराया । तब से उक्त खसरा संख्या 90 रकबा 0.42 हे. पर अकेले रामसिंह काबिज है। शम्भूसिह की मृत्यु हो जाने के कारण शम्भूसिंह द्वारा हक त्याग कर दिये जाने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने विरासत के आधार पर देवीसिंह पुत्र शम्भुसिंह , नन्दासिंह पुत्री शम्भुसिंह एंव समर कंवर पत्नी शम्भुसिंह का नाम ना.सं. 148 दिनांक 17.07.2015 को फेसल कर दर्ज कर दिया जबकि शम्भुसिंह मृत्यु पूर्व ही अपना हक रामसिंह के पक्ष मे त्याग कर दिया तथा शम्भुसिंह ने हक त्याग पर अपने हस्ताक्षर किये । अन्त मे जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात वादी के पक्ष मे

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

षित किए जाने पर जवाबकर्ता को आपत्ति नही होना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता खुमराज कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया । दिनांक 08.10.2024 को बावजूद सूचना अधिवक्ता प्रतिवादी 5 व 7 एंव दिनांक 12.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 06 उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 5 , 6 व 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से सहमति का जवाब होने से वाद बिन्दू कायम नही किए गए।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 रामसिंह व pw2 कंचन के प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या 58 , प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस , प्रदर्श–3 रसीद , प्रदर्श–3 ए रसीद की फोटो प्रति , प्रदर्श–4 रिलिज डीड , प्रदर्श–4 ए रिलिज डीड की फोटो प्रति , प्रदर्श–5 खातेदारी की पास बुक , प्रदर्श–5 ए खातेदारी पास बुक की फोटो प्रति प्रदर्शित करवाए ।

पत्रावली बहस हेतू नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष पेश हुई। बहस वाद पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद ग्रस्त आराजीयात ग्राम अभयपुर के खसरा संख्या 90 रकबा 0.42 हे. भूमि वादी के खातेदारी मे घोषित किए जाने का निवेदन किया । इसके साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने पूर्व मे सहमति का जवाब पेश किया एंव वक्त बहस वादी के कथनो का समर्थन करते हुए वादग्रस्त आराजीयात वादी के घोषित करने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवज प्रदर्श–4 एं जो कि रजिर्स्टड रिलिज डीड है उक्त रिलिज डीड के अवलोकन से जाहिर हुआ है कि ग्राम अभयपुर पटवार हल्का अभयपुर की आराजी संख्या 90 रकबा 0.42 हे. के सह खातेदार कल्याणसिंह, शम्भुसिंह, कैलाश एंव गणेश पुत्र भवानीसिंह एंव कंचन पुत्री भवानीसिह राजपुत नि. अभयपुर ने सह खातेदार रामसिंह पिता भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर के पक्ष मे दिनांक 10.06.1987 को रिलिज डीड निष्पादित करवा कब्जा सिपूर्द किया है एंव वाद ग्रस्त आराजीयात के संबंध मे समस्त हक हकूक रामसिंह को प्रदान किए है। इसके साथ ही उक्त रिलिज कर्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने उक्त रिलिज डीड मे वर्णित

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

यानो पर सहमति व्यक्त करते हुए वाद पत्र मे सहमति का जवाब पेश कर वाद ग्रस्त आराजीयात वादी के पक्ष मे घोषित करने एंव रिलीज कर्ता शम्भुसिंह मृत्यु पूर्व ही अपना हक रामसिंह के पक्ष मे त्याग कर देने से विरासत से शम्भुसिंह के वारिसान का नाम गलत दर्ज होने का अभिवचन अपने जवाब दावे मे अंकन किए है। गवाह रामसिंह के द्वारा अपने बयानो मे रिलिज डीड की फोटो प्रति पर ए टु बी शम्भुसिंह के हस्ताक्षर होना बताया है।

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 58 सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी मे आराजी संख्या 90 रकबा 0.42 हे. रामसिंह कल्याणसिंह शम्भुसिंह कैलाश गणेश कंचन के नाम दर्ज होकर नामा.संख्या 148 से शम्भूसिंह की विरासत से शम्भूसिंह के बजाए उनके वारिसान के नाम दर्ज होना बतलाती है।

उपरोक्त तथ्यो को मध्येनजर रखते हुए यह बात तो भलीभाती स्पष्ट है कि दिनांक 10.06.1987 को वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध मे रामसिंह के पक्ष मे निष्पादित रिलिज डीड के प्रभाव मे रहते हुए भी वादग्रस्त आराजीयात अन्य सहखातेदार कल्याणसिंह, कैलाश एंव गणेश पुत्र भवानीसिंह एंव कंचन पुत्री भवानीसिह राजपुत नि.अभयपुर एवं शम्भुसिंह के वारिसान के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई है। जो कि न्यायोचित नही है। चूंकि रिलिज डिड के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज रेकार्ड होनी चाहिए थी जो नही हुई है। वादी रिलिज डिड के आधार पर पूर्व मे हुए इन्द्राज को दुरस्त करवा कर वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी की घोषणा करवाना चाहता है जो कि उचित व स्पष्ट होकर वादी विधिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रमाणित पाया जाने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अत : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अभयपुर तहसील बस्सी के आराजी संख्या 90 रकबा 0.42 हे. से प्रतिवादी संख्या 01 से 07 (कल्याणसिंह , कैलाश , कंचन , गणेश एंव देवीसिह , नन्दा कंवर , सायर कंवर) का नाम विलोपित किया जाकर सम्पूर्ण रकबा **वादी रामसिंह** के नाम घोषित की जाती है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सीमा तेवतिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ

–वादी

बनाम

1. कल्याणसिह पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
2. कैलाश पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
3. कंचन पुत्री भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
4. गणेश पुत्र भवानीसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
5. देवीसिंह पुत्र शम्भुसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
6. नन्दा कंवर पुत्री शम्भुसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
7. सायर कंवर पत्नी शम्भुसिंह राजपुत नि.अभयपुर जिला चित्तौडगढ
8. तहसीलदार चित्तौडगढ

–प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88–89 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 115/2020 (2020/00310)

वादी की ओर से वकील श्री सम्पत जणवा की एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता लोकेश गदिया की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अभयपुर तहसील बस्सी के आराजी संख्या 90 रकबा 0.42 हे. से प्रतिवादी संख्या 01 से 07 (कल्याणसिंह , कैलाश , कंचन , गणेश एंव देवीसिह , नन्दा कंवर , सायर कंवर) का नाम विलोपित किया जाकर सम्पूर्ण रकबा वादी रामसिंह के नाम घोषित की जाती है।

यह आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।